आर.ई.ओ– 234

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(आर ई वृत)

क्र. जेपीडी / मु.अ.(सीपीएल) / अधी.अभि.(आर.ई.) / प.1200 / प्रे. 1130 दि. 30-11-12

आदेश

विषय–वर्ष 2012–13 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

डिस्कॉम कोर्डिनेशन फोरम की दिनांक 20.11.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निगम से जारी आदेश क्रमांक आर.ई.ओ– 222 दि. 24.03.2011 के क्रम में सामान्य श्रेणी के 1.10.2008 से 31.12.2008 तक लम्बित आवेदन पत्रो के मांग पत्र एवं तुरन्त प्राथमिकता वाले 31.10.2012 तक लम्बित आवेदको के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किया जावे –

सामान्य श्रेणी

(1) 25 प्रतिशत – 1 दिसम्बर,2012 से 15 दिसम्बर,2012 तक
(2) 25 प्रतिशत – 16 दिसम्बर,2012 से 31 दिसम्बर,2012 तक
(3) 25 प्रतिशत – 1 जनवरी, 2013 से 15 जनवरी,2013 तक
(4) 25 प्रतिशत – 16 जनवरी,2013 से 31 जनवरी, 2013 तक

तुरन्त प्राथमिकता

समस्त अनुसूचित जाति के आवेदको तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामो के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदको तथा अन्य आवेदक जिन्हे तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है जिन्होने 31.10.2012 तक आवेदन कर रखा है, के मांग पत्र 1 दिसम्बर,.2012 से 15 दिसम्बर,2012 तक जारी किये जावे।

सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समीति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी देना सभी वृताधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

प्राथमिकता

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

कनेक्शन के लिये सामान की ढुलाई

कृषि कनेक्शन के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रू अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

लाईन एवं सब–स्टेशन लगाने के क्रम में

कृषि कनेक्श्चान हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11 / .4 के.वी. सब–स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब–स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्शन जारी हो।

उपरोक्त आदेश तीनो वितरण निगमो पर लागू होगें। उपरोक्त आदेशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न– मांग पत्र का प्रारूप , मांग पत्र का स्पष्टीकरण नोट

30/11/12

(पी.सी. शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (सीपीएल)

H:\Agenda note (dt. 21.12.2012).doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर।
3. निदेशक (तकनीकी / वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
5. प्रावेधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जे.सी.सी / जेपीडीसी / प्लान / विधि / आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान / पीपीएण्डएम) अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम अजमेर / जोधपुर।
8. प्रावेधिक सहायक, राज्य मंत्री, उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षण (सतर्कता) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (राम बाग सर्किल) जयपुर।
10. मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (पवस / / ग्रिवीन्सेज / एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
13. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. निजी सचिव, मा. उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मा. उर्जा मंत्री को सूचनार्थ।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर का मा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कों सूचनार्थ।
17. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
18. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. / राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर।
19. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।

30/11/12

मुख्य अभियन्ता (सीपीएल)
जेपीडी, जयपुर

रजिस्टर्ड ए.डी.

कार्यालय सहायक अभियन्ता (/पवस)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड....................................

क्र. जेपीडी/सअ/   /पवस/उपभोक्ता शाखा/प्रे........................   दिनांक ....

समान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु मांग–पत्र

सेवा में,

सर्वश्री ....   मांग–पत्र जारी होने की
ग्राम...   तिथि......................
पोस्ट ....
जिला ....   मांग–पत्र जमा कराने की
                                                                          अन्तिम तिथि............................

बडे हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपने .... एच.पी. के कृषि कनेक्शन हेतु सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दिनांक .... को आवेदन किया था। आवेदित कृषि कनेक्शन देने हेतु वरीयतानुसार आपका नम्बर आ गया है। जिसके लिए निम्न मांग अनुसार राशि सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करानी होगी।

(1)	एस्टीमेट की राशि	रू. ....
(2)	कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि (कृषि कनेक्शन नीति–2004 संशोधित 31.03.2007) के अनुसार	रू. ....
(3)	अन्तर की राशि (1–2)	रू. ....
(4)	राज्य सरकार द्वारा वहन राशि (क्र.स. 3 का 50 प्रतिशत)	रू. ....
(5)	निगम द्वारा वहन राशि (क्र.स.3 का 50 प्रतिशत)	रू. ....
(6)	अमानत राशि	रू. ....
(7)	ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज (ऐच्छिक)	रू. ....
(8)	अन्य	रू. ....
. (9).	कुल राशि (2+6+7+8)	रू. ....
(10)	पूर्व में जमा अग्रिम राशि (–)	रू. ....
	कुल देय राशि (9–10)	**रू...**

कुल देय राशि (शब्दो में) रूपये ....

1. उक्त राशि उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि तक जमा नहीं कराने की स्थिति में बिना अन्य सूचना के आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा कनेक्शन चाहने हेतु आपको पुनः आवेदन करना होगा।
2. कृषि कनेक्शन हेतु सामान के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के रूप में 1500/– रूपये इस मांग–पत्र में शामिल है। यदि आप स्वयं के खर्चे से ले जाना चाहते है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च की राशि मांग–पत्र में से कम कर दी जायेगी जिसके लिए आपको 10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति–पत्र पारूप–अ में (पीछे दिये अनुसार) देना होगा। इस स्थिति में ट्रांसपोटेशन के लिये रू. 1500/– देय नहीं होगे।
3. 10/– रूपये के नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिजली व अन्य फिटिंग का शपथ पत्र देना होगा। (प्रारूप–ब)
4. यदि आपके नाम /परिसर में पहले से कनेक्शन की कोई बकाया राशि एवं विद्युत चोरी की राशि यदि कोई बकाया हो तो वह भी मांग पत्र की राशि के अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी।
5. कनेक्शन की लाईन खींचने के लिए मार्ग/रूट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप व अन्य लोगो के आपसी विवाद की स्थिति में आगामी वरियता क्रम वाले कनेक्शन को जारी कर दिया जायेगा।
6. नवीनतम जमाबन्दी/खातेदारी अधिकार मांग पत्र की राशि जमा कराते वक्त प्रस्तुत करनी होगी। नाम परिवर्तन की स्थिति में आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
7. मांग पत्र की राशि जमा कराने के दिन प्रचलित दरो के अनुसार राशि जमा करानी होगी।
8. आवेदित भार से ज्यादा का कनेक्शन लेने की स्थिति में अन्तर की राशि जमा करानी होगी।
9. अंतिम तिथि से पूर्व मांग–पत्र राशि कभी भी जमा कराई जा सकती है परन्तु इससे वरीयता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि के बाद कनेक्शन आवेदन तिथि के अनुसार जारी किये जायेगे।
10. आपका कृषि कनेक्शन यथासम्भव माह .... में कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता (/ पवस)

जयपुर डिस्कॉम, ...

प्रारूप 'अ'

सहमति पत्र
(10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
(जो आवेदक 1500/– रूपये ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं जमा कराना चाहते है)

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी.................................. ग्राम .... तहसील .... जिला ....शपथपूर्वक घोषणा करता हूॅ कि मेरा खसरा नं. .... ग्राम .... पर कृषि कनेक्शन हेतु पोल, सब–स्टेशन इत्यादि सामान मैं मेरे साधनो से ले जाऊॅगा। उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊॅगा। मेरे कृषि मांग–पत्र राशि में से ट्रांसपोर्टेशन की राशि 1500/– रूपये कम कर दी जावे।

दिनांक **शपथग्रहिता**
स्थान

प्रारूप 'ब'

शपथ–पत्र
(10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी.................................. ग्राम .... तहसील .... जिला ....शपथपूर्वक घोषणा करता हूॅ कि मेरे खसरा नं. .... ग्राम............................ तहसील .... पर कृषि कृषि पम्प के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु फिटिंग का कार्य मैने लाईसेन्सड कांट्रेक्टर/सुपरवाईजर/वायरमैन द्वारा ''इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स–1956''/''इलेक्ट्रीसिटी रूल्स 2005'' के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करवाकर टेस्ट करा लिया है।

आवेदक एवं शपथकर्ता

मांग पत्र का स्पष्टीकरण नोट

1. सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु वर्तमान में समय सीमा में मांग पत्र जारी करने हेतु एस्टीमेट की राशि की गणना रू. 15000/– प्रति हॉर्स पॉवर के अनुसार की जायेगी। कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित 31.03.2007) के बिन्दु संख्या 10 (i) के अनुसार ली जायेगी।
2. उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक माह के अन्त में किये गये प्रत्येक कनेक्शन के वास्तविक राशि का आकलन फील्ड सर्वे के द्वारा करेगे तथा वास्तविक लागत एवं आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि के अन्तर का मूल्याकंन करके निम्नलिखित फॉर्मेट में सम्बन्धित वृतलेखाधिकारी को प्रस्तुत करेगे, जो प्रति माह सूचना संकलित कर मुख्य लेखाधिकारी (एटीआर) को राज्य सरकार में विवरण प्रस्तुत करने के लिये प्रेषित करेगे –

उपखण्ड का नाम– **माह**

क्र. स.	आवेदक का विवरण	कनेक्शन जारी करने की तिथि	वास्तविक एस्टीमेट की राशि (अ)	कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि (ब)	अन्तर की राशि (स) (अ–ब)	राज्य सरकार द्वारा वहन राशि (स का 50 प्रतिशत)	निगम द्वारा वहन राशि (स का 50 प्रतिशत)
1							
2							
3							
	योग						